

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर 2024/430
एयू स्मॉल का. बैंक लि. V/S मोहनराम चौधरी व अन्य

24 $\frac{06}{25}$

पत्रावली पैडा डी/पार्थी अधिवक्ता
उपस्थित पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बैंक के पक्ष अधिवक्ता
द्वारा बना रखी गई वचक सम्पत्ति कृषि
भूमि है। अतः पत्रावली में वचक सम्पत्ति
कृषि भूमि होने से बैंक पार्थना का
खारिज किया जाता है। आदेश देनाया
गया। पत्रावली फौजदारी दुमर बकट
फाइल दफतर है।

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)